

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2018/330

दिनांक : 12/4/18

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर द्वितीय/जोधपुर/बीकानेर।

विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमांक:प. 25(9)चिस्वा/2/2012 दिनांक 08.05.12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 06.10.10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करने हुए शेष रहें 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू संख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मसी/पीएचसी/ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल में उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अंकित है।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नांकित छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु आपके अधीन संस्थान में प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

क्र सं.	CMHO/PMO जिनके अधीन इन्टर्नशिप की जानी है	छात्र/छात्रा का नाम	निवास का पता
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।	डॉ० अशोक कुमार यादव पुत्र श्री ओम प्रकाश यादव	निवासी गांव बालवाड पोस्ट निमकी, वाया कावट तह० खण्डेला, सीकर।
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।	डॉ० एकता नाथ पुत्री श्री नरेन्द्र नाथ	निवासी हरि ओम नगर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड-17 ई के पास, एस.पर. एस. स्कूल के पीछे प्लॉट न० 93 जिला जोधपुर।
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।	डॉ० मुकेश कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार	निवासी नजदीक रेलवे स्टेशन, अर्जुनसर तह० लूणकरणसर जिला बीकानेर।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2018/330

दिनांक : 12/4/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
5. संबंधित छात्र/छात्रा को पालनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।